न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या **144/2019**

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
पीरे खॉ पुत्र वली मोहम्मद जाति तेली मुसलमान निवासी– आहोणी बेनीवालों की ढाणी, तहसील बायतू जिला बाडमेर।		1. जलाल पुत्र हुसैन खॉ 2. सुभान पुत्र हुसैन खॉ 3. गनी पुत्र हुसैन खॉ 4. जुमे खॉ पुत्र काछब खॉ 5. सकू खॉ पुत्र काछब खॉ 6. शरीफ खॉ पुत्र काछब खॉ 7. मीरों बेवा काछब खॉ सभी जातियान तेली मुसलमान निवासी – आहोणी बेनीवालों की ढाणी, तहसील बायतू जिला बाडमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी बायतू के द्वारा पारित आदेश क्रमांक वाद/2017/ 1347 दिनांक 19.09.2017 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री मोहनलाल खत्री, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री लादूराम पूनिया, अशोक पूनिया, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 से 6 की ओर से।
3– रेस्पो0 संख्या 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 27 फरवरी, 2023

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टस की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 131 व 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम आहोणी बेनीवालों की ढाणी के ख0सं0 761/674 रकबा 150.08 बीघा भूमि में से प्रार्थीगण के द्वारा रास्ते हेतु राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त व शुल्क के समर्पण पत्र पेश किया गया जिस पर उनका समर्पण पत्र स्वीकार करके प्रार्थीगण के उक्त खसरान भूमि में से 1.04 बीघा भूमि रास्ते हेतु समर्पित करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आवेदन में प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि से सलंग्न परिशिष्ठ ''अ' में दर्शाये बरंग लाल स्थान पर भूमि समर्पित करने हेतु निवेदन किया था परन्तु भूमि समर्पित करने के बाद समर्पित भूमि की लटठा ट्रेस में तरमीम की गई, वह अन्यत्र स्थान पर कर दी गई, रास्ता भी उक्त दर्शाये बरंग लाल स्थान पर मौके पर चल रहा था, परन्तु दर्शाये बरंग हरा स्थान पर कोई मौके पर रास्ता नहीं है। इसलिये उक्तानुसार राजस्व लटठा ट्रेस में तरमीम की दुरूस्ती किया जाना आवश्यक व न्यायोचित होने से तरमीम दुरूस्ती के आदेश प्रदान किये जावें।

रेस्पो0 की ओर से पेश उक्त आवेदन बाबत अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार बायतू को मौका व रेकर्ड की जॉच हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार बायतू ने जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए उक्त तरमीम दुरूस्ती करने की अनुशंषा की। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.09.2017 के द्वारा तहसीलदार से प्राप्त मौका जॉच रिपोर्ट के अनुसार लटठा ट्रेस में ख0सं0 851/674

रकबा 01.04 बीघा भूमि की पुनः तरमीम किये जाने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्टस को अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया और एकपक्षीय आदेश पारित किया गया जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी आदेश के आधार पर तत्समय में रेस्पोडेन्टस के द्वारा अपीलान्टस को रास्ते का उपयोग करने से रोका और बताया कि इस रास्ते की जगह अन्यत्र जगह पर रास्ता कायम करवा दिया है। अपीलान्टस के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.9.2017 की नकल लेने पर उसकी जानकारी हुई। अपीलान्टस अनपढ व ग्रामीण परिवेश के होने के कारण जानकारी नहीं रख सके। अतः अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने से तथा एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित होने एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने व विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है। किसी भी पक्षकार को तकनीकी या देरी के आधार पर न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलान्टस के द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है अतः अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जावें एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उससे अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार है। अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी की भूमि खेत खसरा संख्या 850/674 रकबा 1.00 बीघा भूमि में से 0.02 बीघा भूमि का राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त व शुल्क के समर्पण आवेदन करके समर्पित कर दी थी, जो राज्य सरकार के द्वारा नियमानुसार स्वीकृत किया गया और राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर रास्ते के लिये कायम किया, इसी प्रकार रेस्पोडेन्टस ने भी अपनी भूमि समर्पण कर दी गई। परन्तु राजस्व अधिकाररी के द्वारा रेस्पो0 को फायदा पहुंचाने की नियत से तरमीम शुद्धि कर अन्य जगह रास्ता कायम करने में भारी कानूनी व वाक्यती भूल की है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट उक्त रास्ता प्रकरण से प्रभावित पक्षकार था, व है लेकिन रेस्पोडेन्टस ने अपने प्रार्थनापत्र में मुकदमा पक्षकार बनाये बिना व उसे सुनवाई का मौका दिये ही अपने पक्ष में तरमीम शुद्धि का आदेश करवा लिया है, इससे अपीलान्ट को दोनों ओर से रास्ते से तकलीफ हो रही है। अंपीलान्ट अपनी खातेदारी भूमि से अन्यत्र रास्ते के अभाव में जाने में असमर्थ है। रेस्पोडेन्टस द्वारा वर्ष 2014 में रास्ते के लिये भूमि समर्पित की गई थी। उस तरमीम की शुद्धिकरण करवाने के लिये सन 2014 में तरमीम शुद्धि का आवेदन प्रस्तुत किया है जो तीन वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्टस के आवेदन जो गलत तरमीम की शुद्धि हेतु पेश किया था परन्तु तरमीम शुद्धि कर रकबा 1.04 बीघा भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में कायम रास्ते को अन्यत्र कायम करने में भारी भूल की है एवं आवेदन को स्वीकार कर लिया जो निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अपीलाधीन आदेश की आड में अपीलान्ट की अपनी खातेदारी की भूमि में पूर्व में कायम किये गये रास्ते में उपयोग–उपभोग में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है एवं अपीलान्ट के खेत के अन्दर आने–जाने वाले रास्ते के उपयोग करने से रोका जा रहा है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे एवं रेस्पोडेन्टस के द्वारा प्रस्तुत तरमीम शुद्धि के प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के जरिये पूर्व में कायम रास्ते को अन्यत्र कायम करने बाबत पारित आदेश को निरस्त किया जावे।

प्रत्युतर में रेस्पो0 सं. 01 ता 6 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक ता सात की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र यह पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम आहोणी बेनीवालों की ढाणी के ख0सं0 761/674 रकबा 150.08 बीघा भूमि आई हुई है जिसमें भूमि में हम प्रार्थीगण के द्वारा रास्ते हेतु राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त व शुल्क के समर्पण पत्र पेश किया गया जिस पर उनका समर्पण पत्र दिनांक 18.12.2014 को स्वीकार करके प्रार्थीगण के उक्त खसरान भूमि में से रकबा 1.04 बीघा भूमि रास्ते हेतु समर्पित करने का आदेश पारित किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवेदन में अपनी भूमि से सलंग्न परिशिष्ठ ''अ' में दर्शाये बरंग लाल स्थान पर भूमि समर्पित करने हेतु निवेदन किया था परन्तु भूमि समर्पित करने के बाद समर्पित भूमि की लटठा ट्रेस में तरमीम की गई, वह अन्यत्र स्थान पर कर दी गई, रास्ता भी उक्त दर्शाये बरंग लाल स्थान पर मौके पर चल रहा था, दर्शाये बरंग हरा स्थान पर कोई मौके पर रास्ता नहीं है। हल्का पटवारी ने भी पूर्व में तरमीम परिशिष्ठ 'अ' में दर्शाये बरंग लाल स्थान पर ही करनी चाही परन्तु बाद में किसी कारणवश वह स्थान छोडकर अन्यत्र स्थल जो बरंग हरा स्थान दर्शाया हुआ है पर कर दी गई जो गलत दर्शाई गई है। इसलिये उक्तानुसार राजस्व लटठा ट्रेस में तरमीम की दुरूस्ती किया जाना आवश्यक व न्यायोचित होने से तरमीम दुरूस्ती के आदेश प्रदान करें।

रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि प्रार्थीगण ने उक्त समर्पण परिशिष्ठ ''अ''' में दर्शाये बरंग लाल स्थान पर रास्ता निकालने हेतु ही किया गया था तथा मौके पर भी परिशिष्ठ ''अ'' में दर्शाये बरंग लाल स्थान की भूमि को ही रास्ते के रूप में प्रयोग में लिया जा रहा है, बरंग हरा स्थान पर मौके पर कोई रास्ता नहीं है इसलिये उक्त समर्पित भूमि की तरमीम दुरूस्त करते हुए सही तरमीम की जावें। रेस्पोडेन्टस के उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार बायतू से मौका स्थिति रिपोर्ट तलब की जिस पर दिनांक 19.9.2017 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें प्रस्तावित नक्शा में मौजुदा जगह पर तरमीम किया जाना उचित बताया तथा ख0सं0 761/ 674 के सभी खातेदार सहमत होना अंकित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार बायतू की अनुशंषा पर ख0सं0 851/674 रकबा 01.04 बीघा भूमि की पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त करते हुए प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा में दर्शाये बरंग लाल के अनुसार पुनः तरमीम करने के आदेश दिनांक 19.9.2017 को पारित किये गये है जो पूर्ण रूप से विधि अनुकूल व उचित है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश से किसी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं हो रही है और न ही उनके आने–जाने वाले रास्ते

को किसी प्रकार से बन्द किया गया है, अपीलान्ट द्वारा मात्र झूठे एवं काल्पनिक तथ्यों को अपील में अंकित किया गया है जो अस्वीकार करने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.09.2017 एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि दिनांक 8.12.2014 को ख0सं0 761/674 के खातेदार श्री जलाल खॉ वगैराह द्वारा भूमि का समर्पण किया गया। समर्पणनामा सभी खातेदारान द्वारा रजामन्दी से करवाया गया। ख0सं0 761/674 के समस्त खातेदारान द्वारा दिनांक 14.09.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्ष 2014 में समर्पित भूमि की तरमीम शुद्धि चाही गई। उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त कर तरमीम शुद्धि के आदेश पारित किये गये। तहसीलदार द्वारा मौका जॉच किये जाने का अभाव पाया गया। पूर्व में समर्पित रास्ता खेत की माठ के सहारे है। अपीलान्ट ख0सं0 850/674 के खातेदार है।

उक्त समस्त विवेचन, विश्लेषण के मध्यनजर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बायतू को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार मौका जॉच कर मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा तैयार करे। तत्पश्चात उभय पक्षकारान की सुनवाई व उक्तानुसार प्राप्त मौका फर्द व मौका नक्शा के मध्यनजर उपखण्ड अधिकारी बायतू विधिवत निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 27 फरवरी, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर